(132)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0 सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

11
16-1-14

श्री. जी. एस. सिंह.. एड
द्वारा आज दिनांक 16-01-14 को
प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

RF 20/-

R-645-II/14

विश्वनाथ तनय स्व0 अगनू कुम्हार निवासी देवगॉव तहसील सिहाबल जिला सीधी (म0प्र0) ....**आवेदक / निगराकार**

विरूद्ध

दल्ले पिता बैजनाथ कुम्हार निवासी देवगॉव तहसील सिहाबल जिला सीधी (म0प0)

........................**अनावेदक / गैरनिगराकार**

पुनरीक्षण विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा जिला रीवा (म0प्र0) के राजस्व प्रकरण क्रं0 518 / अपील / 09–10 मे पारित आदेश दिनांक 17.12.2013

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर

निगरानी के आधार निम्न है :–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 17.12.2013 विधि प्रक्रिया एवं सहज न्याय के विपरीत होने से निरस्तगी योग्य है।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपील मे यह तथ्य प्रमाणित है, कि तहसील न्यायालय व अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय के दोनो आदेश समर्वतीय आदेश है, जिसमे विधिवत विवेचना दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा की गयी है, और निगराकार द्वारा वसीयतनामा दिनांक 22.11.2005 जो वाद साक्ष्य विधिवत प्रमाणित पाया गया उसी के आधार पर निगरानीकर्ता के नाम वसीयत मे प्राप्त भूमियों का नामान्तरण स्वीकार किया

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–**R.645-II**/14 जिला–सीधी

विश्वनाथ कुम्हार/दल्ले कुम्हार

(1)	(2)	(3)
14.03.18	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत लगाता कई पेशियों से उपस्थित नहीं है। 3. अनावेदक की ओर से श्री संजय तिवारी एड0 उपस्थित। 4. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 5. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	